

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प.4(ई)(वी) अलेसे-III / लिंक नंबर-10096/2013/3660 दिनांक :- 09-07-2019

कार्यालय आदेश

श्री विकास शर्मा कनि० लेखाकार लिंक नंबर-10096/2013 (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) कार्यालय उप परिवहन आयुक्त जयपुर को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अन्तर्गत निम्नानुसार असाधारण (अवैतनिक) अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक -10.06.2019 से 20.06.2019 तक (कुल 11 दिवस)

(चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर)

उक्त कुल 11 दिवस का असाधारण (अवैतनिक) अवकाश का इन्द्राज श्री विकास शर्मा की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावें।

(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक :- प.4(ई)(वी) अलेसे-III / लिंक नंबर-10096/2013/3660 दिनांक :- 09-07-2019

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. उप परिवहन आयुक्त जयपुर।
2. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक।
3. उपनिदेशक (ए.सी.पी.) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. श्री विकास शर्मा कनि० लेखाकार लिंक नंबर-10096/2013 (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) कार्यालय उप परिवहन आयुक्त जयपुर।
5. रक्षित पत्रावली।

(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-III)